रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2003.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 7 फरवरी, 2004/18 माघ, 1925

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, शिमला

अधिसूचना

शिमला-2, 28 जनवरी, 2004

संख्या एच0 पी0 ई0 आर0 सी0/609-बी0.—निम्नलिखित प्रारूप विनियम जिन्हे हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित सशक्त करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करता है, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 181 की उप-धारा (3) द्वारा यथापेक्षित के अनुसार उनसे आम प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते है; और एतद्द्वारा यह नोटिस (सूचना) दिया जाता है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर, इनके राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, में प्रकाशन की तारीख से तीस (30) दिन के अवसान पर, किसी भी आक्षेप या सुझाव सहित, जो इस बाबत उक्त अवधि के भीतर प्राप्त हुआ हो/हुए हों, विचार किया जाएगा ।

इस निमित आक्षेप या सुझाव सचिव, हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, क्योंथल कमर्शियल काम्प्लैक्स, खलिनी, शिमला-171002 को सम्बोधित किए जाने चाहिए ।

प्रारूप विनियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विद्युत ओम्बुडसमैन (अधिकारी तथा कर्मचारीवृन्द् सेवा निबन्धन तथा शर्तें) विनियन 2004 है ।

(2) ये विनियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं.—इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो—

(1) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;

(2) "नियुक्ति प्राधिकारी" से विद्युत ओम्बुडसमैन अभिप्रेत है;

(3) "अध्यक्ष" से आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(4) "आयोग" से हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है;

(5) "विद्युत ओम्बुडसमैन" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे अधिनियम की धारा 42(6) के अधीन आयोग द्वारा नियुक्त किया जाए;

(6) "प्रारूप" से इन विनियमों से संलग्न प्रारूप अभिप्रेत है;

(7) "चयन समिति" से वह समिति अभिप्रेत है, जो विद्युत ओम्बुडसमैन के कार्यालय में पदों को भरने के लिए सिफारिश करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इन विनियमों के उपबन्धों के अनुसार बनाई जाए;

(8) "राज्य विद्युत बोर्ड" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) के प्रारम्भ से पूर्व, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 54) की धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए गठित राज्य विद्युत बोर्ड अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत उसका हित उत्तराधिकारी भी शामिल है;

(9) "अन्य" सभी शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, का वही अर्थ होगा जो कि उन्हें अधिनियम में क्रमशः नियत किया गया है ।

3. पदों के प्रवर्ग, वेतनमान तथा भत्ते.—(1) विद्युत ओम्बुडसमैन के कार्यालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के पदों के प्रवर्ग, वेतनमान तथा संख्या वही होगी जैसे अनुसूची 1 में दर्शित है ।

(2) तत्समानी वेतनमान जब कभी राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा पुनरीक्षित किए जाते हैं तब आयोग भी वेतनमान पुनरीक्षित कर सकेगा ।

(3) ऐसे मापमान पर तथा ऐसे निबन्धों के अध्यधीन, जो राज्य विद्युत बोर्ड समय-समय पर अपने कर्मचारियों को लागू करे, विद्युत ओम्बुडसमैन के अधिकारी तथा कर्मचारी—

(क) महंगाई भत्ता, नगर प्रतिकारात्मक भत्ता, राजधानी भत्ता, वाहन भत्ता, सचिवालयिक/विशेष भत्ता, विद्युत तथा मकान भत्ता लेने;

(ख) गृह यात्रा/अवकाश यात्रा रियायत, समाचार पत्र और पत्रिका सुविधा प्राप्त करने; तथा

(ग) चिकित्सीय व्यय तथा आवसिक टैलीफोन की प्रतिपूर्ति का दावा करने;
के हकदार होंगे ।

4. भर्ती की अर्हताएं, अनुभव तथा रीति.—(1) प्रत्येक पद के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव वही होगा जैसे कि अनुसूची-2 में विहित किया गया है ।

(2) विद्युत ओम्बुडसमैन के अधिकारी तथा कर्मचारी, वितरण अनुज्ञाप्तिधारियों के अधिकारियों/कर्मचारियों में से प्रतिनियुक्ति पर, ऐसा न होने पर किसी सरकारी विभाग या केन्द्र या राज्य सरकार के अधीन पब्लिक सैक्टर उपक्रम या अन्य निकाय से प्रतिनियुक्ति पर, या संविदात्मक आधार पर, विद्युत ओम्बुडसमैन द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ।

5. प्रतिनियुक्ति.—(1) विद्युत ओम्बुडसमैन, पद रिक्त होने पर, अपने कार्यालय में काम करने के लिए, वितरण अनुज्ञाप्तिधारियों से अपने अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाओं को प्रतिनियुक्ति के आधार पर देने के लिए अपेक्षा करेगा । यदि अनुज्ञाप्तिधारी, उन्हें की गई अध्यपेक्षा के 30 दिन के भीतर अपने अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं नहीं सौंपते हैं, या ऐसा करने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं तो विद्युत ओम्बुडसमैन उक्त रिक्तियों को किसी सरकारी विभाग या केन्द्र या राज्य सरकार के अधीन पब्लिक सैक्टर उपक्रम या अन्य स्वशासी निकाय से भर सकेगा ।

(2) सेवा प्रसुविधाओं के प्रयोजन के लिए, सरकार या पब्लिक सैक्टर उपक्रम या अन्य स्वशासी निकाय से इन विनियमों के अधीन प्रतिनियुक्त व्यक्तियों का सेवाकाल चलत सेवा माना जाएगा ।

(3) केन्द्र सरकार, या यथास्थिति राज्य सरकार, द्वारा विहित मानक निबन्धन व शर्तें वेतन नियतन को विनियमित करेंगी ।

(4) इन विनियमों के अधीन प्रतिनियुक्ति पर सेवा ग्रहण करने वाले व्यक्ति द्वारा, अपने पद ग्रहण की तारीख को मूल निबन्धनों व शर्तों के अनुसार बकाया उधारों, अग्रिमों तथा अन्य राशियों का प्रतिसंदाय करने के लिए, या अन्यथा सरकार से या पब्लिक सैक्टर उपक्रम से या स्वशासी निकाय से की गई बचन बाध्यताओं को पूरा करने के लिए; विद्युत ओम्बुडसमैन से, या यथास्थिति नाम निर्दिष्ट प्राधिकारी से करार किया गया समझा जाएगा ।

(5) प्रतिनियुक्ति पर पद ग्रहण करने वाले व्यक्ति अपने उस भविष्य निधि, जिसमें वे मूल विभाग में अभिदाता थे, में अधिदाय करने के पात्र होंगे । यदि प्रतिनियुक्त व्यक्ति अभिदायी भविष्य निधि का सदस्य है, तो प्रत्येक मामले में यथा लागू नियोजक अभिदाय पर व्यय का वहन वितरण अनुज्ञाप्तिधारी विद्युत ओम्बुडसमैन के कार्यालय व्यय के रूप में करेंगे ।

(6) यह होते हुए भी कि किसी ने अपनी प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी नहीं की है, विद्युत ओम्बुडसमैन को, यह अवधारित करने पर कि उक्त व्यक्ति की सेवाएं अब उसके कार्यालय में वांछित नहीं हैं, किसी भी प्रतिनियुक्त व्यक्ति को मूल विभाग में प्रत्यवास्त करने का विवेकाधिकार होगा ।

6. संविदात्मक नियुक्तियां.—(1) अनुभवी व अर्हताप्राप्त अभ्यर्थी अभिप्राप्त करने हेतु, अधिकारियों और कर्मचारियों के वे रिक्त पद, जिनके लिए वितरण अनुज्ञाप्तिधारी अपने अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाओं को विद्युत ओम्बुडसमैन को सौंपने में असफल रहते हैं, संविदात्मक आधार पर उचित व्यक्तियों को नियुक्ति, जो 2 वर्ष से अधिक न हो, से भी भरे जा सकेंगे ।

(2) संविदात्मक भर्ती की दशा में, प्रत्येक मामले में समेकित वेतन पैकेज विनिश्चित किया जाएगा और वह संविदा की अवधि के दौरान नियत रहेगा ।

(3) जब नियुक्ति प्राधिकारी किसी संविदा का विस्तार या नवीकरण करना विनिश्चित करता है, तो पारिश्रमिक उसके विवेकानुसार पुनरीक्षित किया जा सकेगा ।

(4) संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति की सेवाएं, ठोस और पर्याप्त कारण अभिलिखित करके, एक महीने की सूचना (नोटिस) देने या इसके बदले में वेतन पैकेज की अदायगी करके, समाप्त की जा सकेंगी ।

(5) अधिवर्षिता सेवा निवृत व्यक्ति केवल संविदात्मक नियुक्ति के पात्र होंगे और संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात, सेवारत्त नहीं रहेगा ।

7. चयन समिति.---(1) विभिन्न पदों पर नियुक्तियां, चाहे वह प्रतिनियुक्ति पर या संविदात्मक आधार पर की जानी हो, चयन समिति की सिफारिश से की जाएंगी ।

(2) चयन समिति का निम्न गठन होगा---

(क) उप-निदेशक के पद के लिए---

(1) विद्युत ओम्बुडसमैन (पीठासीन)
(2) आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामित व्यक्ति;

(ख) अन्य पदों के लिए---

(1) विद्युत ओमबुडसमैन (पीठासीन)
(2) उप-निदेशक
(3) सहायक निदेशक

(3) चयन समिति अपनी सहायता के लिए एक या दो विशेषज्ञों को सहयोजित कर सकेगी ।

8. नियुक्ति प्रतिक्रिया.---(1) प्रतिनियुक्ति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियां, भावी अभ्यर्थियों को अपनी-अपनी विशिष्टियां सहित, आवेदन देने के लिए, कम से कम 8 (आठ) सप्ताह का समय देते हुए, नौकरी की अपेक्षाओं, वांछित शैक्षणिक एवं व्यवसायिक अर्हताओं, वेतन संरचना इत्यादि के पूर्ण ब्यौरे सहित, राज्य मे वितरण अनुज्ञप्तिधारियों और सरकारी विभागों, पब्लिक सैक्टर उपक्रमों तथा अन्य स्वशासी निकायों में परिचालित की जाएंगी । किन्तु विवक्षनीय परिस्थितियों में, कारण अभिलिखित करके, ये अवधि घटा कर 6 (छः) सप्ताह तक की जा सकेगी ।

(2) ऐसे विज्ञापन/परिपत्र के साथ आवेदन देने की अन्तिम तारीख तथा उन स्थानों का ब्यौरा, जहां पर चरित्र/आयु/अधिवास/शैक्षणिक अर्हताओं के वांछित प्रमाण-पत्र पेश करने हैं तथा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यथाविहित आवेदन रूपविधान भी अधिसूचित/परिचालित किया जाएगा ।

(3) राज्य सरकार की नीति अनुसार विनिर्दिष्ट प्रवर्गों के लिए रिक्तियां आरक्षित होगी ।

(4) विहित अवधि के भीतर प्राप्त आवेदन चयन समिति के आगे रखे जाएंगें । प्रारम्भिक समीक्षा के दौरान व्यष्टिक अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के विभिन्न स्तम्भों में दिए गए ब्यौरे को सारणीबद्ध रूप में उपदर्शित किया जाएगा और अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदन पत्रों के साथ संलग्न शंसापत्रों व प्रमाण-पत्रों का ब्यौरा,

यह दर्शाते हुए कि अभ्यर्थी पात्रता मानदण्ड की पूर्ति करता है/या नहीं करता है का भी उल्लेख किया जाएगा ।

(5) उक्त सूचना के आधार पर, चयन समिति, 7 दिन की कालावधि के भीतर, चयन प्रक्रिया की आगामी कार्रवाई विनिश्चित करेगा । यह उन अभ्यर्थियों को, जो लगते हैं कि नौकरी की अपेक्षाओं को पूरा करते है, वैयक्तिक साक्षातकार/परीक्षा के लिए बुला सकेगी, या कारण अभिलिखित करके आवेदन पत्रों के माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार पर उनका चयन कर सकेगी ।

(6) चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात, नियुक्ति प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा और चयन समिति द्वारा बनाई गई चयन सूची (मैरिट लिस्ट) विद्युत ओम्बुडसमैन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी । पैनल पर रखने के लिए चयन समिति उन अभ्यर्थियों की योग्यता के आधार पर सूची भी बनाएगा, जिन्हें, उस स्थिति में जब कभी युक्तियुक्त समय के भीतर सफल अभ्यर्थी नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता है, नियुक्ति प्रस्ताव भेजा जा सके ।

(7) सामान्य पैनलित अभ्यर्थियों की संख्या 3 (तीन) से अधिक नहीं होगी और पैनल चयन के परिणाम की घोषणा की तारीख से 6 (छः) मास के पश्चात प्रभावी नहीं रहेगा ।

(8) उचित अभ्यर्थियों के न मिलने की दशा में यदि चयन प्रक्रिया पुनः प्रवर्तित की जाती है, तो ऊपरी-सूचीवद्ध समस्त प्रक्रिया का फिर से अनुसरण किया जाएगा ।

(9) नियुक्तिपर्यन्त औपचारिकताएं.—(1) सफल अभ्यर्थियों को उनकी नियुक्ति के बारे में रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा सूचित किया जाएगा तथा उन्हें पद ग्रहण करने के लिए 2 (दो) सप्ताह का समय दिया जाएगा और उस दशा में यदि वे नियत समय में पद ग्रहण करने में असफल रहते हैं, तो नियुक्ति प्रस्ताव रद्द हो जाएंगें । किन्तु उपयुक्त मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी, कारणों को अभिलिखित करके, इस शर्त का शिथिलीकरण करते हुए युक्तियुक्त कालावधि नियत कर सकेगा ।

(2) नियुक्ति प्रस्ताव के अनुसरण में नियुक्ति-पत्र केवल चयनित अभ्यर्थी द्वारा विद्युत ओम्बुडसमैन के कार्यालय में सक्षम अधिकारी को शैक्षणिक/अनुभव/अधिवास तथा जाति के विभिन्न प्रमाण-पत्रों की असली प्रतियां प्रस्तुत करने पर ही भेजा जाएगा । नियुक्ति प्रस्ताव के जारी होने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की असफलता, नियुक्ति प्रस्ताव को रद्द करने का कारण बनेगी ।

(3) नियुक्तियों के रद्द करने के ऐसे मामलों में, अगले पैनलित अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रस्ताव उसी रीति, जिसमें मूल चयनित अभ्यर्थी को भेजा गया था, से भेजा जाएगा ।

(10) आचरण, वर्गीकरण, नियन्त्रण तथा अपील नियमों का लागू होना.—(1) उन व्यक्तियों, जो भारत सरकार या अन्य सरकारों/संगठनों से प्रतिनियुक्त हैं, जिन्हें उनके तत्स्थानी नियम लागू होंगे, को छोड़कर विद्युत ओम्बुडसमैन के कार्यालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को लागू किए गए सैन्ट्रल सिविल सर्विस कन्डक्ट रूल्ज, 1964 तथा सैन्ट्रल सिविल सर्विस (क्लासीफिकेशन, कन्ट्रोल एंड अपील) रूल्ज 1965 के उपबन्ध लागू होंगे ।

(2) विद्युत ओम्बुडसमैन अपने कार्यालय में कार्यरत समस्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों का नियुक्ति प्राधिकारी एवं अनुशासनिक प्राधिकारी होगा तथा अध्यक्ष उनका अपील/पुनर्विलोकन प्राधिकारी होगा ।

(3) अन्य सेवा मामलों में, जिनका इन विनियमों में विनिर्दिष्ट रूप में उल्लेख नही है, आयोग के, या हिमाचल प्रदेश के या भारत सरकार के सेवा नियम/विनियम, जैसे आयोग निर्णित करे, लागू होंगें ।

(11) निर्वचन :—यदि इन विनियमों के निर्वचन का कोई प्रश्न उठता है, तो आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

(12) कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.—यदि इन विनियमों के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है. तो आयोग, आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्धित करेगा या ऐसे निर्देश देगा, जो इन विनियमों के उपबन्धों से असंगत न हों और कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों :

परन्तु इस विनियम के अधीन कोई आदेश इन विनियमों के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष के अवसान के पश्चात नहीं दिया जाएगा।

अशोक महाजन,
सचिव,
हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग,
शिमला।

अनुसूची-1
(विनियम 3 देखें)

विद्युत ओम्बुडसमैन के कार्यालय में पदों के प्रवर्ग, वेतनमान तथा संख्या

पदनाम	संख्या	वेतनमान
अधिकारी:		
उप-निदेशक	1	12500–400–14900–450–17600–500–19100
सहायक निदेशक	1	7750–250–8000–275–9100/10350–350—12100–400 14500 (8550 रुपये प्रारम्भिक वेतन)
कर्मचारी:		
निजि सचिव	1	7750–250–8000–275–9100–300–10000–350–12100 400–13300
वरिष्ठ स्टैनोग्राफर	1	6700–250–8000–275–9100–300–10000–350–11050
वरिष्ठ सहायक	1	6300–200–6500–250–8000–275–9100–300–10000 350–10700
कनिष्ठ सहायक	1	4600–175–5300–200–6500–250–7250
चालक	1	4600–175–5300–200–6500–250–7250
जमादार/हवलदार	1	2930–110–3480–130–4000–150–4600–175–5300
चपड़ासी	1	2720–100–2930–110–3480–130–4000–150–4600–175 4775

अनुसूची-2
(विनियम–4 देखें)

विद्युत ओम्बुडसमैन के कार्यालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की अर्हताएं

पद नाम 1	अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं 2	वांछनीय अतिरिक्त अर्हताएं 3
उप-निदेशक	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलैक्ट्रिकल/पावर इंजीनियरी में स्नातक या उसके समकक्ष उपाधि; (ख) किसी बड़े लोक उपयोगिता उपक्रम में विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा वितरण सुविधाओं का 7 (सात) वर्ष का अनुभव; (ग) सदृश पद पर उपरोक्त अनुभव रखने वाले कार्यरत अधिकारी या उपरोक्त अनुभव सहित केन्द्रीय सरकार पब्लिक सैक्टर उपक्रम या राज्य सरकार पब्लिक सैक्टर उपक्रम/केन्द्रीय/राज्य सरकारों में 7750–14500 रुपये (प्रारंभिक वेतन 8550 पर) या इसके समतुल्य वेतनमान में 5 (पांच) वर्ष की नियमित सेवा; (घ) समुचित लिखित तथा मौखिक संसूचना में कुशलता; (ङ) प्रभावी कम्पयुटर साक्षरता एवं कुशलता ।	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलैक्ट्रिकल/पावर इंजीनियरी में स्नातकोत्तर उपाधि या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विद्युत प्रबन्धन में एम0 बी0 ए0 की उपाधि; (ख) वितरण प्रणाली, जिसके अन्तर्गत वितरण प्रणाली के वाणिज्यिक पहलु (मीटर वाचन बिल बनाने तथा प्रभारों, की वसूली इत्यादि) भी हैं, के प्रवर्तन तथा अनुरक्षण का अनुभव; (ग) विद्युत विधियों का ज्ञान ।
सहायक निदेशक	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलैक्ट्रिकल/पावर इंजीनियरी में स्नातक या उसके समकक्ष उपाधि । (ख) किसी बड़े लोक उपयोगिता उपक्रम में विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा वितरण सुविधाओं का 3 (तीन) वर्ष का अनुभव या उक्त अनुभव रखने वाला सदृश पद पर कार्यरत अधिकारी; (ग) समुचित लिखित तथा मौखिक संसूचना में कुशलता । (घ) प्रभावी कम्पयुटर साक्षरता एवं कुशलता ।	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलैक्ट्रिकल/पावर इंजीनियरी में स्नातकोत्तर उपाधि या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विद्युत प्रबन्धन में एम0 बी0 ए0 की उपाधि । (ख) वितरण प्रणाली जिसके अन्तर्गत वितरण प्रणाली के वाणिज्यिक पहलु (मीटर वाचन बिल बनाने तथा प्रभारों की वसूली इत्यादि) भी है, के प्रवर्तन तथा अनुरक्षण का अनुभव । (ग) विद्युत विधियों का ज्ञान।

1	2	3
कर्मचारी :		
निजी सचिव	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि।	(क) केन्द्र/राज्य सरकार या किसी पब्लिक सैक्टर उपक्रम/कानूनी निकाय में विभागाध्यक्ष के साथ 5 (पांच) वर्ष का निजी सहायक के रूप में अनुभव।
	(ख) कम्युटर वर्ड प्रोसेसिंग में माहिर।	(ख) कार्यालय प्रबन्धन तथा सचिवालय प्रक्रिया में डिप्लोमा।
	(ग) आशुलिपि एवं टंकण में प्रवीणता।	
	(घ) केन्द्र/राज्य सरकार/पब्लिक सेक्टर उपक्रम में सदृश पद पर सेवा या उपरोक्त अनुभव के साथ 7250-11500 या इसके समतुल्य वेतनमान के पद पर 3 (तीन) वर्ष का अनुभव।	
वरिष्ठ स्टैनोग्राफर	(क) स्नातक उपाधि के साथ टंकण में 40 (चालिस) शब्द प्रति मिनट, आशुलिपि लेखन में 80 (अस्सी) शब्द प्रति मिनट, तथा कम्पयुटर टंकण में 8000 (आठ हजार) के0 डी0 प्रति मिनट (के0 डी0 पी0 एम0) की गति में दक्षता;	(क) मान्यता प्राप्त/विख्यात संस्थान से प्रबन्धन एवं सचिवालयिक प्रक्रिया में डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र या उसके सकक्ष।
	(ख) मान्यता प्राप्त संस्थान से टंकण तथा आशुलिपि लेखन में डिप्लोमा;	
	(ग) केन्द्र/राज्य सरकार/पब्लिक सैक्टर उपक्रम में सदृश पद पर कार्यरत कर्मचारी या केन्द्र/राज्य सरकार/पब्लिक सैक्टर उपक्रम/कानूनी निकायों, जिनमें कम्पयुटर प्रचालन अभिदर्शित होता हो, में 6100-9450 के वेतनमान के पद पर 3 तीन वर्ष का अनुभव।	
वरिष्ठ सहायक	(क) स्नातक उपाधि के साथ टंकण कम्पयुटर टंकण, प्ररूपण, लेखा/वित्तीय मामलों तथा कार्यालय प्रक्रिया में दक्षता;	(क) कार्यालय प्रबन्धन या कार्मिक प्रबन्धन में डिप्लोमा;
	(ख) शासकीय नियमों, विनियमों तथा कार्यालय अभिलेखा अनुरक्षण में दक्षता;	(ख) कम्पयुटर एपलिकेशन कोर्स में डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र या कम्पयुटर प्रचालन में कार्य करने का अनुभव।
	(ग) केन्द्र/राज्य सरकार/पब्लिक सेक्टर उपक्रम में सदृश पद पर सेवा या केन्द्र सरकार पब्लिक सैक्टर उपक्रम/राज्य सरकार पब्लिक सैक्टर उपक्रम/केन्द्र/राज्य सरकार में 4600-7250/4400-7000 या इसके समतुल्य वेतनमान में कनिष्ठ सहायक के रूप में की गई सेवा सहित लिपकीय वर्ग में 8 (आठ) वर्ष की नियमित सेवा।	

1	2	3
कनिष्ठ सहायक	(क) स्नातक उपाधि के साथ टंकण, कम्पयुटर टंकण प्ररूपण, लेखा/वित्तीय मामलों तथा कार्यालय प्रक्रिया में दक्षता; (ख) शासकीय नियमों, विनियमों तथा कार्यालय अभिलेखा अनुरक्षण में दक्षता। (ग) केन्द्र/राज्य सरकार/पब्लिक सैक्टर उपक्रम में सदृश पद पर कार्यरत हो या केन्द्र सरकार पब्लिक सैक्टर उपक्रम/ राज्य सरकार पब्लिक सक्टर उपक्रम/ केन्द्र/राज्य सरकार में 3480–6500 वेतनमान में एल0 डी0 सी0 (लोअर डिविजन कलर्क) के रूप में 3 (तीन) वर्ष की नियमित सेवा की हो	(क) कार्यालय प्रबन्धन या कम्पयुटर प्रचालन में डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र या कम्पयुटर प्रचालन में 1 (एक) वर्ष का कार्य करने का अनुभव ।
चालक	(क) मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से मैट्रीकुलेशन; (ख) लाइट व्हिकल लाईसैंसधारक; (ग) दोनों पर्वतीय/मैट्रोपोलिटन क्षेत्रों में लाइट व्हिकल चलाने का 3 (तीन) वर्ष का अनुभव ।	
जमादार/हबलदार	(क) मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से मैट्रीकुलेशन; (ख) शारीरिक तौर पर स्वस्थ; (ग) केन्द्र सरकार पब्लिक सैक्टर उपक्रम/ राज्य सरकार पब्लिक सैक्टर उपक्रम/ केन्द्र/राज्य सरकार में 2720–4775 या इसके समतुल्य वेतनमान में चपड़ासी/ डाकवाहक के रूप में 5 (पांच) वर्ष का अनुभव ।	
चपड़ासी	(क) मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से मैट्रीकुलेशन; (ख) शारीरिक तौर पर स्वस्थ ।	

[*Authoritative English Text of the Himachal Pradesh Ombudsman (Adhikari Tatha Karamchari-vrind Seva Nibandhan Tatha Sharten) Viniyam*, 2004, *as required under clause* (3) *of article* 348 *of the Constitution of India*].

HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla-2, the 28th January, 2004.

No. HPERC/609B.—The following draft regulations, which the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission proposes to make in exercise of the powers conferred

by sub-section (1) of section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, are hereby published as required by sub-section (3) of section 181 of the said Act, for the information of all the persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft regulations will be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh together with any objections or suggestions which may within the aforesaid period be received in respect thereto.

The objections or suggestions in this behalf should be addressed to the Secretary, Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, Keonthal Commercial Complex, Khalini, Shimla-171 002.

Draft Regulations

1. **Short title and commencement**—(1) These regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Ombudsman (Terms and Conditions of Service of Officers and Empolyees) Regulations, 2004.

(2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. **Definitions.**—In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(1) "Act" means the Electricity Act, 2003 (Act No. 36 of 2003);
(2) "appointing authority" means the Electricity Ombudsman;
(3) "Chairperson" means the Chairperson of the Commission;
(4) "Commission" means the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission;
(5) "Electricity Ombudsman" means the person appointed by the Commission under section 42 (6) of the Act;
(6) "Schedule" means the Schedule appended to these regulations;
(7) "Selection Committee" means the Committee constituted by the appointing authority in accordance with the provisions of these regulations for making recommendations for appointments to the posts in the office of the Electricity Ombudsman;
(8) "State Electricity Board" means the State Electricity Board for the State of the Himachal Pradesh constituted before the commencement of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), under sub-section (1) of section (5) of the Electricity (Supply) Act, 1948 (54 of 1948) and includes its successors-in-interest;
(9) other words and expressions used in these regulations, but not defined herein, shall have the same meanings as are respectively assigned to them in the Act.

3. **Categories of posts, pay scales and allowances:—**

(1) The categories of officers and the employees of the office of the Electricity Ombudsman, their pay scales and strength shall be as shown in the Schedule-I.
(2) The scales of pay may be revised, by the Commission, as and when the corresponding scales of pay are revised by the State Electricity Board.
(3) The officers and employees of the Electricity Ombudsman shall be entitled to—

(*a*) draw dearness allowance, city compensatory allowance, capital allowance, conveyance allowance, secretariat/special allowance, electricity and house rent allowance;

(*b*) avail facility for home travel/LTC, newspapers and periodical; and
(*c*) claim reimbursement of medical expenses and residential telephone charges;

on such scale and subject to such conditions, as may be made applicable, from time to time, to its employees by the State Electricity Board.

4. Qualifications, experience and mode of appointment :—

(1) The educational qualifications and experience required for each post shall be as priscribed in Schedule-II.

(2) The officers and the employees of the Electricity Ombudsman shall be appointed by the Electricity Ombudsman on deputation from the officers/employees of the distribution licencees, failing which on deputation from a Govt. Department or a public sector Undertaking or a local body under the Central or State Government or on contract basis.

5. Deputation:—

(1) The Electricity Ombudsman shall, on the occurrence of a vacancy, call upon the distribution licensees to place the services of their officers/employees, on deputation basis in his office. In case the distribution licensees either fail to place the services of their officers/employees at his disposal, within 30 days of the date of requisition made to them, or express their inability to do so, the Electricity Ombudsman may fill up the vacancies by deputation of officers/employees from a Government Department or a Puplic Sector Undertaking or any other autonomous body under the Central or State Government.

(2) The period of service of a person posted on deputation under these regulations by transfer on deputation from the Government or any Public Sector Undertaking or any other autonomous body shall be treated as continuous for the purposes of all service benefits.

(3) The standard terms and conditions prescribed by the Central Government, or as the case may be by the State Government, shall govern the fixation of pay.

(4) The person joining the service under these regulations on deputation shall be deemed to have entered into an agreement with the Electricity Ombudsman or the nominated authority, as the case may be, to repay the loans, advances and other sums due from them or otherwise perform the obligations undertaken by them to the Government or to the Public Sector Undertaking or to the autonomous body, which remain outstanding against them on the date of joining as per the original terms and conditions.

(5) The persons joining on deputation shall be eligible for contribution to the respective Provident Fund to which they are subscribing in the parent department. In case a person posted on deputation is a member of the Contributory Provident Fund, the cost of employer's contribution as applicable in each case, shall be born by the distribution licensees as the office expenses of the office of the Electricity Ombudsman.

(6) Notwithstanding the fact the employee has not completed the period of deputation, the Electricity Ombudsman shall have the discretion to repatriate an employee, serving on deputation, to his parent department, on determining that the services of such employee are not required by his office.

6. **Appointments on contract basis:—**

(1) With a view to obtain the services of experienced and qualified persons, the vacancies of officers and employees, which remain unfilled by reason of the failure of the distribution licensees to place the services of their officers/ employees at the disposal of the Electricity Ombudsman, may also be filled in by appointing suitable persons on contract basis for a period not exceeding two years at a time.

(2) In the case of recruitment on contract basis a consolidated pay package shall be decided in each case, which shall remain fixed during the period of contract.

(3) The remuneration may be revised, at the discertion of the appointing authority, when it decides to extend or renew the contract of an employee.

(4) The services of a person appointed on a contract basis may be terminated for good and sufficient reasons to be recorded in writing, after issue of one month's notice or payment of his pay package in lieu thereof.

(5) Persons retired on superannuation shall be eligible for appointment under these regulations on contract basis and no person appointed on contract basis shall serve after attaining the age of 65 years.

7. **Selection Committee:—**

(1) All appointments to the various posts, whether on deputation or on a contract basis, shall be made on the recommendations of the Selection Committee.

(2) The Selection Committee shall consist of—

(*a*) for the post of the Deputy Director—

(1) the Electricity Ombudsman (in chair)
(2) a person to be nominated by the Chairperson of the Commission.

(*b*) for the remaining posts—

(1) the Electricity Ombudsman (in chair)
(2) the Deputy Director
(3) the Assistant Director

(3) The Selection Committee may co-opt one or more persons as experts to assist it.

8. **Procedure of appointment:—**

(1) The vacancies to be filled in by deputation shall be circulated to the distribution licensees in the State and to the Government Departments, the Public Sector Undertakings and other autonomous bodies with complete details of job requirements, requisite educational and professional qualifications pay structure etc. giving at least eight weeks time for the prospective applicants to respond with respective particulars. However, in compelling circumstances this period may, for reasons to be recorded in writing, be reduced, to six weeks.

(2) The last date for submission of applications and details of place where applications alongwith requis te certificates of character/age/caste/domicile/ educational qualifications are to be submitted and any prescribed format for the application, as may have been devised by the appointing authority, shall also be notified/circulated with such advertisement/circular.

(3) As per the policy of the State Govt., vacancies shall be reserved for the categories so specified.

(4) The applications received within the prescribed time limit shall be placed before the Selection Committee. The preliminary scrutiny shall indicate in a tabular form the details submitted by the individual candidates under various columns of the applications form and shall also mention the deta ls of the testimonials and certificates attached by respective applicants indicating the fulfillment/non-fulfillment of eligibility criterion by the candidate.

(5) The Selection Committee, on the basis of such information, shall, within a period of seven days, decide about the further action to be taken for completion of selection process. It may decide to call certain candidate, found to be fulfilling the job requirements, for personal interview/test or for reasons to be recorded in writing make selection on the basis of information received with the application forms.

(6) After finalisation of process, the approval of appointing authority shall be obtained and the merit list prepared by the Selection Committee shall be displayed on the notice board of the Electricity Ombudsman. The Selection Committee shall also prepare a list of candidates in order of merit for being kept on selection panel for being offered employment in the eventuality of any successful candidate not availing the offer of appointment within a reasonable time.

(7) The number of candidates empanelled shall ordinarily not exceed three persons and such a panel shall not be operative beyond six months of the date of announcement of results of the selection.

(8) In the eventuality of the selection process being undertaken again for want of suitable candidates, the entire procedure listed above shall be followed all over again.

9. Formalities after appointment :

(1) The successful candidates shall be informed about their appointment through registered post/speed post and shall be given two week's time for joining their assignment and in the eventuality of ther failure to join within the stipulated time, the offer of appointment shall stand cancelled. The appointing authority may, however, for reasons to be recorded in writing, relax this condition for a reasonable period in respect of deserving cases.

(2) The offer of appointment shall be followed by letter of appointment only after the selected candidate has furnished the original copies of various certificates of educational qualifications/experience/domicile and caste status before the competent authority in the office of the Electricity Ombudsman. Failure to furnish any such certificate within two weeks of issue of offer of appointment shall lead to cancellation of offer of appointment.

(3) In all such cases of cancellation of appointment, the offer of appointment shall be sent to the next empanelled candidate in the same manner as was done in case of originally selected candidate.

10. Applicability of CCA and Conduct Rules—

(1) The provisions of the Central Civil Services Conduct Rules, 1964 and Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, as applicable

to the employees of the Government of Himachal Pradesh shall be applicable to all officers/employees of the office of the Electricity Ombudsman except to those on deputation from the Government of India or other Governments organisations, who may be governed by the corresponding rules of their parent Government/organisation.

(2) The Electricity Ombudsman shall be the appointing authority and the disciplinary authority in respect of all officers and employees of his office and in relation to them the Chairperson shall be the appellate/reviewing authority.

(3) In respect of any service matter not specifically mentioned in these regulations, the service regulations of the Commission, the Government of Himachal Pradesh or the Government of India shall apply as may be decided by the Commission.

11. **Interpretation.**—If any question arises relating to the interpretation of these regulations, the decision of the Commission shall be final.

12. **Power to remove difficulties.**—The Commission may by order make such provisions or give such directions, not inconsistent with the provisions of these regulations, as it may deem necessary for the removal of any difficulty which may arise in giving effect to the provisions of these regulations:

Provided that no such order shall be made under this regulation after the expiry of two years from the date of the commencement of these regulations

Sd/-
Secretary,
Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission,
Shimla.

SCHEDULE-I

(*See regulation* 3)

Categories of Posts, Pay Scales and Strength of the Office of the Electricity Ombudsman

Name of Post	Staff strength	Pay scale
Officers :		
Deputy Director	1	12500-400-14900-450-17600-500-19100
Assistant Director	1	7750-250-8000-275-9100/10350-350-12100-400-14500 (with initial start of Rs. 8550)
Staff :		
Personal Secretary	1	7750-250-8000-275-9100-300-10000-350-12100-400-13300
Sr. Scale Stenographer	1	6700-250-8000-275-9100-300-10000-350-11050
Sr. Assistant	1	6300-200-6500-250-8000-274-9100-300-10000-350-10700
Jr. Assistant	1	4600-175-5300-200-6500-250-7250
Driver	1	4600-175-5300-200-6500-250-7250
Jamadar/Havildar	1	2930-110-3480-130-4000-150-4600-175-5300
Peons	1	2720-100-2930-110-3480-130-4000-150-4600-175-4775.

SCHEDULE-II

(See regulation 4)

Qualifications for the officers and staff of the Office of the Electricity Ombudsman

Name of the Post	Minimum requard qualifications	Additional qualifications desirable
1	2	3
Deputy Director	(*a*) Bachelor Degree in Electrical/Power Engineering or equivalent from a recognized university. (*b*) 7 years experience in large public utility in Generation, Trasmission and Distribution facilities. (*e*) Officers holding analogous posts with above experience or persons with 5 years regular service with the above experience in CPSUs/SPSUs/Central/State Governments in the post carrying the pay scale of Rs. 7750-14500 with an initial start of Rs. 8550/- or equivalent. (*d*) Good written and verbal communication skills. (*e*) Strong computer literacy and skills.	(*a*) Post Graduate Degree in Electrical/Power Engineering or M.B.A. in power management from a recognised University. (*b*) Experience in operation and maintenance of distribution system including commercial aspects of distribution (metering, billing and collection etc.) system. (*c*) Familiarity with Electricity law.
Assistant Director	(*a*) Bachelor Degree in Electrical/Power Engineering or equivalent from a recognized University. (*b*) 3 years experience in large public unility in Generation, Transmission and Distribution facilities or Officer holding analogous posts with above experience. (*c*) Good written and verbal communication skills. (*d*) Strong computer literary and skills.	(*a*) Post graduate Degree in Electrical/Power Engineering or M.B.A. in power management from a recognised University. (*b*) Experience in operation and maintenance of distribution system inculding commercial aspects of distribution (metering, billing and collection etc.) system. (*c*) Familiarity with Electricity laws.
Staff :		
Personal Secretary	(*a*) Graduate degree from a recognised university; (*b*) Well versed in computerised word processing; (*c*) Proficient in short hand and typing; (*d*) Holding analogous post in Central/ State Govt./PSU or 3 years experience in the post carrying the pay scale of Rs. 7250-11500 or equivalent with the above experience.	(*a*) Experience of working as personal assistant of HOD for 5 years in Central/State Govt. or any PSU/Statutory bodies. (*b*) Diploma in office management and secretarial Procedure.

1	2	3
Sr. Scale Stenographer	(*a*) Graduate with proficiency in typing (40 wpm), Shorthand (80 wpm) and computing (8000 kdpm); (*b*) Diploma in typing and shorthand from a recognised institution or (*c*) Official holding analogous post in Central/State Govt./PSU or 3 years service in the post carrying the pay scale of Rs. 6100-9400 Central/State Govt. or any PSU/Statutory bodies involving exposure to computer operations.	Diploma certificate in management and secretariat procedure or equivalent from a recognised/reputed institution.
Sr. Assistant	(*a*) Graduate with proficiency in typing computing, drafting, accounting/financial matters and office procedures. (*b*) Well versed in official rules and regulations. Maintenance of office records. (*c*) Holding analogous post in State Govt./Central Govt./PSU/Statutory bodies or 8 years regular service in clerical cadre including as a Jr. Asstt. in CPSU/SPSU/Central/State Govt. in the pay scale of Rs. 4600-7250/4400-7000 or equivalent.	(*a*) Diploma in Office Management or Personal Management. (*b*) Dipioma or certificate course in computor application, or 3 years working experience in computor operation.
Jr. Assistant	(*a*) Graduate with proficiency in typing computing, drafting, accounting/financial matters and office procedures. (*b*) Well versed in official rules & regulations. Maintenance of Office records. (*c*) Holding analogous post in State Govt./Central Govt /PSU/Statutory bodies or 3 years regular service as LDC in the pay scale of Rs. 3480-6500 in CPSU/SPSU/Central/State Govt. or equivalent.	Diploma/Certificate Course in office management or computer application or 1 year working experience in computer operation and application.
Driver	(*a*)Maticulation from recognised Board of School Education. (*b*) Should possess light vehicle licence. (*c*) 3 years experience in driving light vehicles both in Hilly/Metropolitan areas.	
Jamadar/Havildar	(*a*) Matriculation from recognised Board of School Education; (*b*) Good physique. (*c*) 5 years experience as peon/Process Server in the pay scale of Rs. 2720-4775 or equivalent in CPSU/SPSU/Central/ State Govt.	
Peon	(*a*) Matriculation from recognised Board of School Education; (*b*) Good physique.	

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित